न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड न्यायालय ग्वालियर म0प्र0

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

(33)

निगरानी- 5772/2018/सतना/भू.रा.

01-सपना बिस्वास पिता शैलेन्द्र बिस्वास उम्र 50 वर्ष निवासी, खेरमाई,रोड,सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0-- निगराकार

बनाम

01- सुनील कुमार मिश्रा पिता श्री सभापति मिश्रा उम्र 42.वर्ष

02- आशीष कुमार मिश्रा पिता श्री सभापति मिश्रा उम्र 35 वर्ष

03- विपिन कुमार मिश्रा पिता श्री सभापति मिश्रा उम्र .33 वर्ष

04- सभापति मिश्रा तनय श्री अक्षेवर नाथ मिश्रा सभी निवासी सतना हाल निवासी - ग्राम · सिंगला, जैतवारा रोड. त० - जैतवारा, जि०- सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0------------- गैर निगराकारगण

श्री वी०के०शुक्ला द्वारा आज दि० 22/9/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26/9/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 9.18

निगरानी बिरुद्ध राजस्व निरिक्षक मंडल सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0का,रा0,प्र0क0-118ए,12/2016-17आदेश दिनांक 20/08/17 आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता।

V.K. SHUKLA
ADVOCATE
22/9/18

मान्यवर

निवेदन है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 20/8/17 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसके सक्षिप्त तथ्य एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5772/2018/सतना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्त श्री बी.के. शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तह. रघुराजनगर के प्रकरण क्र. 11/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	